

प्रेषक,

शशि भूषण लाल सुशील,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 04 मई, 2017

विषय:-मिट्टी के तेल के व्यवर्तन/दुरुपयोग रोकने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-121सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से मिट्टी के तेल के उठान/वितरण व श्री स्टेज चेकिंग के व्यापक निर्देश दिए गए हैं परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर पर जिला प्रशासन व संबंधित अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने में शिथिलता बरती जा रही है जिससे जनपदों में मिट्टी के तेल के व्यवर्तन व दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार प्रकरण में बरती जा रही शिथिलता को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

2- अतएव मामले में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिट्टी के तेल के उठान/वितरण व श्री स्टेज चेकिंग हेतु निर्गत उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अभियान चलाकर छद्म नामों से पी0डी0एस0 केरोसीन का व्यवर्तन रूकवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शशि भूषण लाल सुशील)

सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 2- समस्त उपायुक्त खाद्य, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, 30प्र0।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।